

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 197/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/245

दायर दिनांक :- 25.09.2024

निर्णय दिनांक :- 16.06.2025

1 पुनाराम पुत्र रेशमाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी -

बनाम

1. वनणाराम पुत्र धोकूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. रामलाल पुत्र धोकूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. आसकरण पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. उम्मेदाराम पुत्र कवरुराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. ओमप्रकाश पुत्र बलवंताराम जाति विश्नोई नि. भीमसागर ओसियां त. ओसियां जिला जोधपुर
6. भागीरथ पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. रामचन्द्र पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. रिछपाल पुत्र कवरुराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. सुखराम पुत्र किशनाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. सुभाष कुमार पुत्र किशनाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
11. सायरी पत्नी रेशमाराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
12. सहायक अभियन्ता खनिज विभाग, बालेसर
13. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप

अप्रार्थीगण-

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपरिथत :- 1. श्री विजय तंवर, सिद्धराज गोदारा
अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--:: निर्णय ::--

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम राणेरी पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कब्जा काशत की भूमि खेत खसरा नम्बर 244/3 रकबा 3.6988 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जमाबंदी व भू-नक्शा की वर्तमान प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त खसरान के पैमाईश आवेदन पर उप तहसीलदार शेखासर द्वारा दिनांक 14.05.2024 को जारी आदेश कंमाक/भू0अ0/26 की पालना में दिनांक 21.06.2024 को हल्का पटवारी

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

द्वारा मौका पर पहुंच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर प्रार्थी खातेदारान् के पड़ोसी खातेदारान् व मौतबीरान के समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 21.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरान् की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरान् की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ोसी खातेदारान् व्यवधान पैदा कर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 21.06.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगद्दी करवाने के कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिंगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम राणेरी पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 244/3 रकबा 3.6988 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 21.06.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगद्दी किये जाने के आदेश फरमावे।


अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। ग्राम राणेरी पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 244/3 रकबा 3.6988 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 11 वादग्रस्त भूमि के खातेदार हैं रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गद्दी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उपरोक्त वर्णित खसरान् की पैमाईश फर्द दिनांक 21.06.2024 अनुसार पत्थरगद्दी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

संज्ञिका

यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अश्लील या अपमानजनक चित्रों, फोटो, वीडियो, ऑडियो या लिखित सामग्री को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करता है, तो उसे कानून के तहत दंडित किया जाएगा। यह कानून सभी प्रकार के डिजिटल सामग्री के लिए लागू है, जिसमें ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के अश्लील या अपमानजनक चित्रों, फोटो, वीडियो, ऑडियो या लिखित सामग्री को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करता है, तो उसे कानून के तहत दंडित किया जाएगा।



संज्ञिका
कानून
अश्लील
अपमानजनक